RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ९] सोमवार, मार्च ३०, २०१५/चैत्र ९, शके १९३७ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ३० मार्च २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XVI OF 2015.

A BILL
FURTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १६ सन् २०१५।

महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में, प्रवृत्त कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१५ कहलाये ।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) धाराएँ २ से ५, धारा ६ की उप-धारा (१) और धाराएँ ७ से ११, १ अप्रैल २०१५ से प्रवृत्त होगी ;

(ख) धारा ६ की उप-धारा (२), १ मई २०१५ से प्रवृत्त होगी ।

अध्याय-दो

महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२ में संशोधन।

सन् १९६२ का महा. ९की धारा १२-ख में संशोधन।

२. महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२ की धारा १२ ख के खंड (ङ) में, " वर्ष २०१३-१४ " शब्द तथा अंकों के स्थान में, " वर्ष २०१३-१४ और २०१४-१५ " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे। सन् १९६२ का महा. ९।

अध्याय-तीन

महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में संशोधन।

सन् १९७५ का महा. १६की अनुसूची एक में संशोधन।

३. महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ की संलग्न **अनुसूची एक** की प्रविष्टि १ के, खंड (ख) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. १६।

" (ख) (एक) पुरुषों के मामले में ७,५०० रुपयों से अधिक किन्तु १०,००० रुपयों से अनधिक ;	. .	प्रति माह १७५
(दो) स्त्रियों के मामले में, १०,००० रुपयों से अनधिक	. .	कुछ नहीं ।"।

अध्याय-चार

महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ में संशोधन।

सन् २००३ का महा. ४की अनुसूची का संशोधन।

४. महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ की संलग्न अनुसूची में प्रविष्टि १६ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २००३ का महा. ४।

" १७. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की संलग्न अनुसूची ग की प्रविष्टि ५५ के खंड (४) और (५) द्वारा आवृत्त माल ।	. .	५ प्रतिशत ।"। सन् २००५ का महा. ९।

अध्याय-पाँच

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २ में संशोधन।

५. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,— सन् २००५ का महा. ९।

(१) खंड (२०) में, **स्पष्टीकरण एक** के पश्चात, निम्न स्पष्टीकरण निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण एक क**—वित्त अधिनियम, १९९४ के अधीन उद्ग्रहित या उद्ग्रहणीय और विक्रेता द्वारा अलग से संग्रहित सेवा कर की रकम, खरीद की कीमत में शामिल नहीं की जायेगी ।"; सन् १९९४ का ३२।

(२) खंड (२५) के, **स्पष्टीकरण एक** के पश्चात्, निम्न **स्पष्टीकरण** निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९९४ का ३२।

" **स्पष्टीकरण एक क.**—वित्त अधिनियम, १९९४ के अधीन उद्ग्रहित या उद्ग्रहणीय और खरीददार से अलग से संग्रहित सेवा कर की रकम, शामिल नहीं की जायेगी ।"।

६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २० की,— सन् २००५ का महा. ९की धारा २० में संशोधन।

(१) उप-धारा (४) के, परंतुक में, " उपरोक्त खंडों " शब्दों के स्थान में, " खंड (क) या, यथास्थिति, खंड (ख) " शब्द, कोष्टक तथा अक्षर रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (६) में, " दो हजार " शब्दों के स्थान में, " एक हजार " शब्द रखे जायेंगे ।

७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २३ की,— सन् २००५ का महा. ९की धारा २३ में संशोधन।

(१) उप-धारा (५) के,—

(क) खंड (क) में, " इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के क्रम के दौरान, यदि विहित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि " शब्दों के स्थान में, " जहाँ विहित प्राधिकरण का यह विश्वास करने का कारण है कि " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खंड (घ) के, परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु आगे यह कि, किसी मामले में १ अप्रैल, २०१५ को या के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है तो संव्यवहार या, यथास्थिति, दावे में अंतर्विष्ट वर्ष के अंत से छह वर्षों के अवसान के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन कोई निर्धारण आदेश नहीं बनाया जायेगा ।";

(२) उप-धारा (११) में, " (३) या (४) " कोष्टक, अंक और शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हो, के स्थान में, " (३), (४) या, यथास्थिति, (५) " कोष्टक, अंक और शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (१२) में, " (३) या (४) " कोष्टक, अंक और शब्दों के स्थान में, " (३), (४) या, यथास्थिति, (५) " कोष्टक, अंक और शब्द रखे जायेंगे ।

८. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २८ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. ९की धारा २८ का प्रतिस्थापन।

" **२८.** जहाँ कोई न्यायालय या अधिकरण या कोई अपिल प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण अपील या पुनरीक्षण मे , इस प्रभाव का आदेश पारित करता है कि,— कर दायित्व का रुपांतरण।

(एक) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन निर्धारित कोई कर जिस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया गया था से अन्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जा सकेगा, या

(दो) मान्य या अमान्य किये गये किसी दावे का इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन दायित्व कर के उपांतरण होने का कोई दावा करता हो,

तब, ऐसे आदेश के परिणाम स्वरुप, ऐसा आवर्तन, या उसका भाग निर्धारित किया जा सकेगा या, यथास्थिति, कर दायित्व, इस अधिनियम के अधीन ऐसे दावे की मान्यता या अमान्यता के अनुसरण में और ऐसे आदेश के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर किसी भी समय, कर के अध्यधीन अवधारित किया जा सकेगा :

परंतु, जहाँ कोई निर्धारण, पहले से ही किया गया है तब, ऐसे निर्धारण अवधि की प्रयुक्ति की परिसीमा से संबंधित कोई उपबंध किसी बात के होते हुये भी लागू होते है तो ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, निर्धारण का उपांतरण किया जायेगा ।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ३० में संशोधन ।

९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (२) में, परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु आगे यह कि, किसी ब्यौहारी के मामले में, धारा २० की उप-धारा (४) के खण्ड (ख) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन यथा उपबंधित किसी वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है तब सारणी के स्तंभ (२) में उल्लिखित दिनांक से ऐसी वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार, कर की ऐसी अधिकतम रकम की अदायगी के दिनांक तक, कर की अधिकतम रकम पर ब्याज देय होगा :—

सारणी

	जिसके लिये वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत की गई है उस वर्ष में रजिस्ट्रीकरण स्थिति (१)		से परिकलित किया जानेवाला ब्याज (२)
(क)	व्यौहारी, जिसने संपूर्ण वर्ष के लिये रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारण किया हो ।	. .	जिससे वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, उस वर्ष का १ अक्तूबर।
(ख)	जिस वर्ष पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है के किसी दिनांक से ३० सितंबर तक के दिनांक को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।	. .	जिससे वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, उस वर्ष का १ अक्तूबर ।
(ग)	जिस वर्ष पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, के ३० सितंबर के पश्चात् किसी दिनांक पर रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।	. .	जिससे वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, उस वर्ष का १ अक्तूबर ।
(घ)	जिस वर्ष पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, के ३० सितंबर के पश्चात्, किसी दिनांक से अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।	. .	रजिस्ट्रीकरण का प्रभावी दिनांक ।
(ड·)	जिस वर्ष पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, के ३० सितंबर के पूर्व के किसी दिनांक पर रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।	. .	रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रभावित दिनांक ।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४४ में संशोधन ।

१०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४४ की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (४क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, सम्मामेलन, विलयन या, यथास्थिति, विसम्बद्धन के मामले में, कारोबार के अंतरण के अन्य प्ररूप में या तो कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में,

(एक) उच्च न्यायालय, अधिकरण या केंद्र सरकार के आदेश के दिनांक से, या

(दो) कंपनी के रजिस्ट्रार जिस दिनांक को सम्मामेलन, विलयन या, यथास्थिति, विसम्बध्दता अधिसूचित करे, उस दिनांक से, प्रभावी हुआ समझा जायेगा । " ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४७ में संशोधन ।

११. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४७ की,—

(१) उप-धारा (१) में,—

(क) " न्यायालय " शब्द के स्थान में, " न्यायालय अधिकरण या " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " आदेश के दिनांक पर समाप्त होनेवाली " शब्दों के स्थान पर, " कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में आदेश के दिनांक से या जिस दिनांक पर कंपनी के रजिस्ट्रार के सम्मामेलन को अधिसूचित करने, के दिनांक पर समाप्त होनेवाली " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में, " उक्त आदेश का दिनांक " शब्द जहाँ कहीं वे दोनों स्थानों पर आये हो, के स्थान में, " धारा ४४ की, उप-धारा (४क) के अधीन कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में ऐसा दिनांक " शब्द रखे जायेंगे ।

(३) उप-धारा (२क) की,—

(क) खण्ड (क) में,—

(एक) " न्यायालय " शब्द के स्थान में " न्यायालय अधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " उस आदेश के दिनांक तक " शब्दों के स्थान में " कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में आदेश के दिनांक से या जिस दिनांक पर कंपनी के रजिस्ट्रार विसम्बध्द अधिसूचित करे, के दिनांक " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, " उक्त आदेश की दिनांक " शब्द जहाँ कहीं वह आये हो, के स्थान में, धारा ४४ की, उप-धारा (४क) के अधीन " कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में, ऐसा दिनांक " शब्द रखे जायेंगे ।

१२. मूल्यवर्धित कर अधिनियम को संलग्नित अनुसूची ' ग ' की,— सन् २००५ का महा. ९ की अनुसूची ' ग ' में संशोधन ।

(एक) प्रविष्टि ४ में, निम्न **स्पष्टीकरण** जोड़ा जायेगा और १ अप्रैल २००५ से प्रभावी जोड़ा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

" स्पष्टीकरण.—इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिये समय-समय से अस्तित्व में है, सिलाई धागे में कशीदाकारी धागे का समावेश होगा । " ।

(२) प्रविष्टि ९१ में, निम्न **स्पष्टीकरण** जोड़ा जायेगा और १ अप्रैल २००५ से जोडा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

" स्पष्टीकरण.—इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिये, समय-समय से अस्तित्व में है, " मसालें " जिसमें सभी प्ररुप, प्रकार के मसाले तथा किन्हीं मसालों के मिश्रण का समावेश होगा । "।

सन् २००५ का महा. ९।

१३. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की अनुसूची (ग) की प्रविष्टि ५४ के अधीन जारी सरकारी अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र. मूल्यवर्धित कर १५०५/सीआर-२३४/कराधान-१, दिनांकित १ सितंबर २००५, उक्त अधिसूचना को संलग्नित अनुसूची की प्रविष्टि २ के, स्तंभ (५) में, " देशी लोणी " शब्दों के स्थान में " देशी **लोणी,** व्हाईट बटर " शब्द रखे जायेंगे और १ सितंबर २००५ से रखे गये समझे जायेंगे । सन् २००५ का महा. ९ की अनुसूची ' ग ' की प्रविष्टि ५४ के अधीन जारी अधिसूचना के लिये संशोधन ।

अध्याय छह

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति

१४. (१) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१५ (जिसे इसमें आगे इस धारा में " संशोधन अधिनियम " कहा गया है) के प्रारंभण के पूर्व, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे इस धारा में, " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " कहा गया है) के उपबंधों के अधीन किसी ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा किए गए विक्रय या क्रय के संबंध में किसी निर्धारण, पुनर्विलोकन, उदग्रहण या संग्रहण में की गई कोई कार्यवाही या की गई कोई बात उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानों कि ऐसा निर्धारण, पुनर्विलोकन, उदग्रहण या संग्रहण या कार्यवाही या बात संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन सम्यक्तया की गई, या की गई थी, और तद्नुसार,— विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति । सन् २००५ का महा. ९। सन् २०१५ का महा. –।

(क) ऐसे किसी कर के निर्धारण, पुनर्विलोकन उदग्रहण या संग्रहण के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या अन्य प्राधिकारी द्वारा कृत या किये गये सभी कार्य, कार्यवाहियाँ या बातें सभी प्रयोजनों के लिये विधि के अनुसरण में कृत या की गई समझी जायेगी और सदैव कृत या की गई समझी जायेगी ;

(ख) इस प्रकार अदा किये गये किसी कर के प्रतिदाय के लिए किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाई रखी या जारी नहीं रखी जायेगी ; और

(ग) कोई न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी किसी ऐसे कर के प्रतिदाय का निदेश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित नहीं करेगा ।

(२) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है की, उप-धारा (७) में कोई भी बात किसी व्यक्ति को,—

(क) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट कर के किसी निर्धारण, पुनर्विलोकन, उदग्रहण या संग्रहण संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधन मूल्यवर्धित कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रश्नगत करने से, या

(ख) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन कर के जरिए, उसके द्वारा देय राशि से अधिक अदा किये गये कर के प्रतिदाय का दावा करने से, किसी व्यक्ति को रोकते हुए नहीं समझी जायेगी ।

(३) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम की कोई बात, संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व, उसके द्वारा कृत या करने से विलुप्त किसी बात के संबंध में कोई व्यक्ति, किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराये जाने का दायी नहीं होगा, यदि ऐसा कृत्य या लोप मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन अपराध नहीं था, परन्तु संशोधन अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के लिए अपराध हुआ है ; और न ऐसे कृत्य या लोप के संबंध में, किसी व्यक्ति पर संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व, प्रवृत्त विधि के अधीन, उस पर, लगाई जा सकनेवाली शास्ति से अधिक शास्ति लगाई जायेगी ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

सन् २०१५-२०१६ के लिए बजट भाषण में प्राप्त प्रस्तावों को प्रभावी करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ (सन् १९७५ का महा. १६), महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ (सन् २००३ का महा. ४) और महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (सन् २००५ का महा. ९) कर के उद्ग्रहण और प्रशासन के प्रक्रियागत पहलुओं को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार, उक्त अधिनियमों में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है। महाराष्ट्र गन्नों पर क्रय कर अधिनियम, १९६२ (सन् १९६२ का महा. ९) में भी संशोधन करने का प्रस्तावित है ताकि, वर्ष २०१४-१५ के लिए चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के क्रय पर कर की अदायगी से छूट दी जा सके।

२. कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है, जिसे नीचे मोटे तौर पर स्पष्ट किया गया है :—

(एक) महाराष्ट्र गन्नों पर क्रय कर अधिनियम, १९६२, किसानों को उचित और लाभकारी कीमते देने के लिये राज्य में चीनी कारखानों को सहायता देने के लिए वर्ष २०१४-१५ के लिए, कर की अदायगी से छूट देने के लिये अधिसूचना जारी करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु संशोधन किया जा रहा है।

(दो) महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में वेतनभोगी महिलाओं को वृत्ति कर की अदायगी से प्रतिमाह १०,००० रुपयों तक की छूट देने के लिए संशोधन किया जा रहा है ;

(तीन) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ में, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की अनुसूची ग की प्रविष्टि ५५ के खंड (चार) और (पांच) द्वारा आवृत्त मालों पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करने हेतु संशोधन किया जा रहा है ;

(चार) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२, संशोधित किया जा रहा है,—

(क) " क्रय मूल्य " और " विक्रय मूल्य " की परिभाषा से सेवा कर का भाग अपवर्जित करना ;

(ख) धारा २० की उप-धारा (४) के खंड (ग) के अधीन बहुविध संशोधित विवरणियों को भरने की अनुमति देना ;

(ग) धारा २३ की उप-धारा (५) के अधीन संव्यवहारण-वार निर्धारणों के लिए छह वर्षों की सीमित अवधि के लिए उपबंध करना और यदि निर्धारण प्राधिकारी को विश्वास करने का यह कारण होता है कि कर का अपवंचन आदि किया जा रहा है, तो ऐसे निर्धारण का प्रारंभ करने हेतु उपबंध करना है ;

(घ) धारा २३ की उप-धारा (५) के अधीन पारित एकतरफ़ा निर्धारण आदेश के रद्दकरण के लिए धारा २३ की उप-धारा (११) के अधीन उपबंध करना ;

(ङ) किसी अधिनियम के अधीन किन्हीं दावों के मान्य तथा अमान्यता के कारण पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के अधीन कर दायित्व के उपांतरण के लिए उपबंध करना ;

(च) धारा ३० की उप-धारा (२) के अधीन देय ब्याज के लिए परिकलित प्रणाली के लिए उपबंध करना ;

(छ) कर दायित्वता के प्रयोजन के लिए कंपनियों के सम्मामेलन विलयन या विसंबद्धता के कारण कारोबार के अंतरण का दिनांक विनिश्चित करने हेतु कंपनी को एक विकल्प के लिए उपबंध करना ;

(ज) यह स्पष्ट करना कि १ अप्रैल २००५ से सिलाई का धागा जिसमें कशीदाकारी धागा शामिल किया जायेगा ;

(झ) यह स्पष्ट करना कि अनुसूची ग की प्रविष्टि ९१, १ अप्रैल २००५ से मसालों के सभी प्ररूप, किस्में और सम्मिश्रण को मसालों के दायरे में लाया जायेगा ;

(ञ) १ सितंबर २००५ से अनुसूची ग की प्रविष्टि ५४ के अधीन जारी की गई अधिसूचना में व्हाईट बटर को सम्मिलित करना।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २६ मार्च २०१५ ।

सुधीर मुनगंटीवार,
वित्त मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में महाराष्ट्र गन्ने पर क्रय कर अधिनियम, १९६२, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५, महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ और महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तुत विधेयक में इस अधिनियम के राज्य विधानमंडल में उसके अधिनियमित होने पर राज्य की समेकित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

(यथार्थ अनुवाद)

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१५ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ३० मार्च, २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.